न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–38/2019

1. साजनराम पुत्र स्व. श्रीहरीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं.–10 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।

——— प्रार्थी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं.–10 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
2. आशा बेवा कृष्णलाल घिंटाल (हैड कांस्टेबल) पुत्री बुद्धराम गोदारा जाति जाट निवासी नई मंडी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर
3. भालवंती पुत्री स्व.श्री हरीराम पत्नी भानीराम गोटिया जाति जाट निवासी निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी ज़िला हनुमानगढ़(राज.)
4. विमलादेवी पुत्री स्व. श्री हरीराम पत्नी कृष्णलाल पोटलिया जाति जाट निवासी चक 3 एलसी ढाणी गोपीराम की ढाणी के पास तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)
5. गुडडी पुत्री स्व. श्री हरीराम पत्नी शंकरलाल भूकासरा जाति जाट निवासी चक 71 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)
6. कमला पुत्री स्व. श्री हरीराम पत्नी बाबूलाल भरगंर जाति जाट निवासी तहसील कार्यालय के सामने अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
7. संतोष पुत्री स्व. श्री हरीराम पत्नी महेन्द्र सिंह तरड़ जाति जाट निवासी 365 हैड तहसील रावला जिला श्री गंगानगर(राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित–

1. श्री एच.एस. सैंखों एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
2. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 1वा2 की ओर से
3. श्री एस.एस. सैंखों एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 5वा6 की ओर से

::निर्णय::

दिनांक 24.02.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा 212 आरटीए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वाके चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–26 पत्थर सं. 291/454 का किला नं. –10,11,12,19,20,21,22 प्रत्येक सालम कुल 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं.–1ता7 के पिता/ससुर श्री हरीराम पुत्र श्री मामराज जाति जाट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जायेगा। श्री हरीराम पुत्र श्री मामराज का दिनांक 26.04.19 को देहांत हो चुका है तथा हरीराम की पत्नी कैलावती का पूर्व में देहांत हो चुका है। श्री हरीराम के देंहात के पश्चात हरीराम के तीन पुत्र साजनराम, अप्रार्थी सं.1 जगदीश व कृष्णलाल तथा अप्रार्थीगण सं. –3ता7 पुत्रीयाँ है जो शादीशुदा है तथा अपने अपने ससुराल में निवास में निवास कर रही है। स्व. हरीराम के एक पुत्र कृष्णलाल का देहांत हो चुका है जिसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नी आशा अप्रार्थीया सं.–2 है। इस प्रकार स्व. श्री हरीराम के देहांत के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.–1ता7 उसके जायज वारिसान है मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। श्री हरीराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1ता7 के संयुक्त कब्जा काश्त में है तथा सभी संयुक्त रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1ता7 के नाम से इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है। जिस कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.–1ता7 के मध्य अक्सर पानी लगाने ,मालकाना आबयाना आदि जमा करवाने को लेकर विवाद पैदा हो जाता है तथा आपस में रंजिश बढती है। इस संबंध में प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण सं.–1ता7 से निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा नहीं होने के कारण अक्सर विवाद पैदा हो जाता है इसलिए स्थाई समाधान हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना अपना हिस्सा दर्ज करवा लिए जायें, लेकिन अप्रार्थीगण सं.1ता7 टाल मटोल करते रहे। दिनांक 15.05.19 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं.1ता7 से सम्पर्क कर वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा करवाने तथा बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना अपना नाम अंकन करवाने बाबत् कार्यवाही करने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ने कहा कि उसने अपने पिता स्व. श्री हरीराम की वादग्रस्त कृषि भूमि में से किला नं.19ता22 की 1.012 हैक्टर कमाण्ड रकबा का एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज अपने पक्ष में तैयार कर रखा है तथा वह उक्त दस्तावेज के आधार पर किला नं. 19ता22 की 1.012 हैक्टर कमाण्ड रकबा का इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवायेगा तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा अप्रार्थीगण सं. –2ता7 ने भी प्रार्थी का सहयोग करने से इंकार कर दिया। अप्रार्थी सं.–1 ने एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रखा है जिसके आधार पर अप्रार्थी सं.–1 वादग्रस्त कृषि भूमि में से किला नं.–19ता22 की 1.012 हैक्टर कमाण्ड रकबा का इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवाने की फिराक में है। यदि अप्रार्थी सं.–1 अपने इस अवैध आशय में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्रा की ऐवज में नही किया जा सकता। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

है। जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा करके किला नम्बर दर्ज नहीं होते तब तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य तनाव बना रहने तथा विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी जमीन का बंटवारा करवाना चाहता है। जिससे किसी भी सहकृषक को काश्त में परेशानी ना हो। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.–1ता7 मृत्तक हरीराम के विधिक वारिसान है। इसलिए वे मृत्तक हरीराम की वादग्रस्त कृषि भूमि की बाबत् 1/8 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित किये जाने का अधिकार रखते है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 की तरफ से श्री तिलकराज चुघ एवं अप्रार्थी सं.–5 एवं 6 की तरफ से श्री सुखदेव सिंह सेंखों ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय इकबालदावा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं.–3,4,7 को जरिए रजि. ए.डी. से तामील जारी की गई। अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ ने अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–26 पत्थर सं.291/454 का किला नं. –10,11,12,19,20,21,22 प्रत्येक सालम कुल 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि हरीराम पुत्र श्री मामराज के नाम से खातेदारी दर्ज होने के तथ्य रिकॉर्ड का तथ्य है उक्त कृषि भूमि में से किला नं.–19ता22 के कुल 1.012 हैक्टर रकबा किसी प्रकार से विवादित नही है बल्कि प्रार्थी द्वारा जानबुझकर उक्त कृषि भूमि का विवादित बताया जा रहा है तथा प्रार्थी के पिता हरीराम पुत्र मामराज का दिनांक 26.04.19 को देहांत होना तथा हरीराम की पत्नी कैलावती का देहान्त होना तथा हरीराम के एक पुत्र कृष्णलाल देहांत होना स्वीकार है तथा हरीराम के देहांत पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता7 उसके जायज वारिसान है। विवादित भूमि हरीराम के जीवनकाल में उनके कब्जा काश्त में थी रिकॉर्ड के तथ्य है। हरीराम के देहांत उपरांत वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.01ता7 के संयुक्त काश्त में नहीं है और ना ही सभी संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वास्तविकता इस प्रकार है कि मूल खातेदार हरीराम ने अपने जीवनकाल मे अपनी उपरोक्त कृषि भूमि वाके चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–26 पत्थर सं.–291/454 का किला नं.10,11,12,19,20,21,22 प्रत्येक सालम कुल 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नं.–19ता22 के कुल 1.012 हैक्टर खातेदारी भूमि

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

की दिनांक14.08.17 को एक वसीयत रोबरू गवाहन मुझ अप्रार्थी के पक्ष में लिखवाकर वसीयत को सुन समझकर तथा सही होना मानकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की वसीयत को स्वयं उप पंजीयक अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर वयीयत को पंजीकृत करवा दी थी तथा मूल खातेदार हरीराम की मृत्यु उपरांत उक्त वसीयत प्रभाव मे आ गई तथा वयीयत के आधार पर स्व. हरीराम की मृत्यु उपरांत उपरोक्त कृषि भूमि किला नम्बर 19ता22 के कुल 4 बीघा भूमि पर मुझ अप्रार्थी का शांतिपूर्वक क़ब्जा चला आ रहा है मौका पर मुझ अप्रार्थी की फसल काश्त की हुई होकर उक्त 4 बीघा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1ता7 के संयुक्त कब्जा में ना होकर उक्त 4 बीघा भूमि पर मन अप्रार्थी का कब्जा है। वाद ग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार से संयुक्त कब्जा नहीं है बल्कि वादग्रस्त भूमि में से किला नम्बर 19ता22 की कुल 4 बीघा भूमि पंजीकृत वसीयत दिनांक04.08.2017 के प्रकाश में मन अप्रार्थी के निरंतर कब्जा काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाने का किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है इस मद की रचना महज प्रार्थना पत्र को तरतीब देने की गर्ज से झुठी एवं मिथ्या अंकित की है।चूंकि वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है। दिनांक 15.05.2019 का वाका महज वाद कारण बनाने के उदेश्य से झूठा एवं मनगंढत दर्ज किया है स्व. हरीराम द्वारा किला नम्बर 19ता22 की 1.012 हैक्टर के संबंध में मन अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत किसी भी तरह से फर्जी एवं कूटरचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा झुठे एवं मिथ्या कथनों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संत्र–2ता7 को इस तथ्य का भली भांति इल्म है कि मृतक हरीराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में से किला नम्बर 19ता22 की 1.012 हैक्टर भूमि को लेकर अपनी इच्छा एवं स्वस्थचित दिमाग से एक वसीयत दिनांक 04.08.2017 को रोबरू गवाहन मुझ अप्रार्थी के पक्ष में लिखवाकर वसीयत को सुन समझकर एवं सही होना मानकर मन अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर एवं वसीयत को स्वयं उप पंजीयक अनूपगढ से पंजीकृत करवाकर मुझ अप्रार्थी को दे रखी है। मूल खातेदार हरीराम के निधन उपरांत उनके द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत प्रभाव में आ चुकी है और उपरोक्त 1.012 हैक्टर कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं.–1 शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने महज वाद कारण बनाने के उदेश्य से झुठी एवं मिथ्या अंकित की है। प्रार्थी को मन अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही है। इस बिनाय पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों पर मनन के पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 212 आरटीए. के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :–वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–26 पत्थर सं. 291/454 का किला नं. –10,11,12,19,20,21,22 प्रत्येक सालम कुल 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं.–1ता7 के पिता/ससुर श्री हरीराम पुत्र श्री मामराज जाति जाट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। हरीराम की पत्नी कैलावती का पूर्व में देहांत हो चुका है। श्री हरीराम के देहांत के पश्चात हरीराम के तीन पुत्र साजनराम, अप्रार्थी सं.1 जगदीश व कृष्णलाल तथा अप्रार्थीगण सं. –3ता7 पुत्रीयाँ है। स्व. श्री हरीराम के देहांत के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. –1ता7 उसके जायज वारिसान है। पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता की है एवं प्रार्थी ने अपने पिता की भूमि में से विरासतन अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। राज.काश्त. अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने पिता की कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद लाने के लिए अनुज्ञेय है, फलतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**– अप्रार्थी सं.–01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि से संबंधित एक वसीयत स्वर्गीय श्री हरीराम द्वारा निष्पादित किये जाने का उल्लेख किया है। यदि वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है एवं अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उक्त कथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण अपने पक्ष में दर्ज करवा लिया जाता है तो न केवल प्रार्थी को असुविधा होगी बल्कि यह हस्तगत वाद को प्रभावित करने के साथ–साथ और अधिक मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने वाला कारक होगा, जबकि वाद के अंतिम निस्तारण तक यह अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अप्रार्थीगण के लिए किसी भी प्रकार से असुविधा की स्थिति उत्पन्न नही करता है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

3. **अपूर्णनीय क्षतिः**—यदि वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है एवं अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उक्त कथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण अपने पक्ष में दर्ज करवाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि को जरिए विक्रय पत्र, रहन अथवा अन्यथा हस्तांतरित कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा के एवज में किया जाना संभव न होगा।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त. अधिनियम बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना समीचीन है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वाके चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—26 पत्थर सं. 291/454 का किला नं.—19, 20, 21, 22 प्रत्येक सालम कुल 1.012 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि को रहन, बैय अथवा हस्तांतरित न करें एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाकर रखें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज़ दिनांक **24.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.03.04 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: